न्यायालय श्रीमान् ~~उज्जैन रेवेन्यू संभाग आयुक्त महोदय, उज्जैन~~ बोर्ड राजस्व मण्डल ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2016 निगरानी निग - 2786 - पीबीआर-16

प्रार्थी अभिभाषक श्री महेन्द्र कुमार कुम्भकर
द्वारा प्रस्तुत
दिनांक 10-8-16
अधीक्षक 10-8-16
आयुक्त कार्यालय
उज्जैन

78
10/8/16

मेमूनाबी वल्द मरहूम नूर मोहम्मद खां
पत्नी श्री शमीम अहमद खां आयु लगभग 65 वर्ष
धंधा–कृषि, काश्तकार ग्राम ताजपुर
निवासी-- 15 नामदारपुरा, गली नबंर 12
जीवाजीगंज थाने के पास, उज्जैन

——— आवेदक

विरूद्ध

1. गुल मोहम्मद खां
2. कल्लू खां उर्फ नन्ना खां
3. वली मोहम्मद खां टेलर

पुत्रगण मरहूम नूर मोहम्मद खां
धंधा–खेती
निवासीगण– जुनी ताजपुर तह. व जिला उज्जैन

———— अनावेदकगण

न्यायालय नायब तहसीलदार महोदय तहसील व जिला उज्जैन (पीठासीन अधिकारी श्री शेखर चौधरी) के प्रकरण क्रमांक 6/अ–6–अ/2015–16 मे पारित आदेश दिनांक 24/6/2016 से असंतुष्ट होकर निगरानी आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता

माननीय महोदय,

निगरानीकर्ता की ओर से अन्य के अतिरिक्त निम्नलिखित तथ्यो एवं आधारो पर यह निगरानी आवेदन पत्र निम्नलिखित अनुसार प्रस्तुत है:–

–: प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :–

1. यह कि, आवेदक तथा अनावेदकगण मरहुम नूर मोहम्मद खां की पुत्री एवं पुत्रगण होकर आपस मे सगे भाई बहन है। उभयपक्षो के पिता मरहूम नूर मोहम्मद खा व उनकी पत्नी मरहूम आमनाबी का इंतकाल क्रमशः 25/2/2007 को तथा 21/2/2010 को हो गया था। उनकी मृत्यु के बाद उनकी सम्पत्ती के उत्तराधिकारी आवेदक तथा अनावेदकगण हुए।

2. यह कि, उभयपक्षो के पिता मरहूम नूर मोहम्मद खा के स्वामित्व एवं आधिपत्य की सर्वे क्रमांक 72 की रकबा 8.160 हैक्टयर कृषि भूमि के अलावा ग्राम ताजपूर तहसील व जिला उज्जैन मे लगभग 150 बीघा कृषि भूमि स्थित थी जो उत्तराधिकार से आवेदक तथा अनावेदकगण को संयुक्त भूमि स्वामी स्वत्व से प्राप्त हुई आवेदक अपनी शादी के बाद से ताजपुर से दूर उज्जैन

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 2786–पीबीआर/2016 **जिला उज्जैन**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25.10.2016	आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । नायब तहसीलदार तहसील व जिला उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 24–6–2016 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । तहसीलदार द्वारा अपने आदेश में स्पष्ट निष्कर्ष निकला गया है कि फौती नामान्तरण कमांक 20 दिनांक 6–6–2007 के अनुसार पश्चात्वर्ती राजस्व अभिलेखों में नामान्तरण अनुसार प्रविष्टि दुरूस्त पाई गई है । यदि आवेदिका को उक्त नामान्तरण में कोई आपत्ति थी, तब उन्हें सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करना चाहिये थी । नामान्तरण में हुयी त्रुटि पर सुनवाई करने का अधिकार तहसीलदार को नहीं है, इसलिये उपरोक्त निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में तहसीलदार द्वारा प्रकरण समाप्त करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है । अतः यह निगरानी प्रथमदृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	